UPSR010004702026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

क्रिमिनल रिवीजन सं०–18/2026

निशा देवी उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी रमेश,
निवासी लखाही बेनी नगर, थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

सन्तोष उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र मयाराम,
निवासी बेनी नगर थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती।

.....विपक्षी

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता निशा देवी द्वारा प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या 988/2024 निशा देवी बनाम सन्तोष के मामले में मुख्य दाण्डिक अधिकारी, जनपद श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.10.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

2– दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः–

आवेदिका निशा देवी की ओर से विपक्षी सन्तोष के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया कि दिनांक 26.07.2024 को समय करीब 11.00 बजे रात्रि विपक्षी आवेदिका के घर में घुसकर उसे धमकी देते हुए उसके साथ जबरिया बलात्कार करने की नीयत से जमीन पर पटक दिया तथा ब्लाउज फाड़ दिया एवं उसके नाजुक अंगों को दबाते हुए बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। आवेदिका के शोर पर उसके नाबालिग बच्चे जाग गये, हल्ला किया जिससे पड़ोस के कई लोग दौड़कर आ गये अन्य लोगों को आते देख विपक्षी जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दाण्डिक अधिकारी द्वारा परिवाद में पंजीकृत करने का आदेश किया गया।

3– निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3)

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.17 16:49:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बी०एन०एस०एस० परिवाद परिवर्तित करने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। मामला गम्भीर प्रवृत्ति का होने के बावजूद अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार न फरमाकर प्रार्थना पत्र परिवाद में परिवर्तित करने में कानूनी गलती की है। अवर न्यायालय को चाहिए था कि प्रार्थिनी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में वर्णित कथन घटना वाले रात बलात्कार के प्रयास जैसे गम्भीर अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का आदेश पारित करते लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसा न करके एवं प्रा० पत्र निस्तारण के समय अपना सही मन मस्तिष्क का प्रयोग न करके मामले की जाँच स्वयं न्यायालय द्वारा समीचीन प्रतीत होने की बात लिखकर प्रा० पत्र परिवाद में परिवर्तित करके पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती गल्ती की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 अपास्त करते हुए समुचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– सुनवाई के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 175(3) दण्ड प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया है। अतः आदेश दिनांकित 21.10.2024 दोषपूर्ण है। तदनुसार वर्तमान दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने की मांग की गयी है।

5– दाण्डिक निगरानी के मामले में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, अशुद्ध अथवा अनुचित तो नहीं है।

6– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि *"प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) B.N.S.S. आवेदिका निशा देवी की ओर से विपक्षी सन्तोष के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत कर संक्षेपतः यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.07.2024 को समय करीब 11.00 बजे रात्रि विपक्षी आवेदिका के घर में घुसकर उसे धमकी देते हुए उसके साथ जबरिया बलात्कार करने की नीयत से जमीन पर पटक दिया तथा ब्लाउज फाड़ दिया एवं उसके नाजुक अंगों को दबाते हुए बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। आवेदिका के शोर पर उसके नाबालिग बच्चे जाग गये, हल्ला किया जिससे पड़ोस के कई लोग दौड़कर आ गये अन्य लोगों को आते देख विपक्षी जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।*

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदिका की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद तथा आधार NC कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (4) B.N.S.S मजिस्ट्रेट की अन्वेषण हेतु आदेश की शक्ति के सम्बन्ध में प्रावधानित करती है। विधि अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–173 (4) B.N.S.S को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। प्रस्तुत मामले मे घटना से सम्बन्धित समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है, जिन्हें वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष साबित करने में सक्षम है। विधिक प्रास्थिति के अनुसार धारा– 173 (4) B.N.S.S के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्य का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने हेतु बाध्य नहीं है। इस सन्दर्भ में रामबाबू गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य 2001 ए०सी०सी० एवं प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ०प्र० राज्य 2015 एस०सी०सी० में दी गयी विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय के अभिमत में प्रस्तुत मामले की जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा – 173(4) B.N.S.S परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत होने योग्य है।"

7– निगरानी में लिये गये आधार व प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अवर न्यायालय की पत्रावली का आवलोकन किया गया।

8– प्रस्तुत मामले में आवेदिका द्वारा विपक्षी पर बलात्कार करने सम्बन्धी प्रयास करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में घटना से सम्बन्धित समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है जिन्हें वह विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 विधि सम्मत है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/निगरानीकर्ता निशा देवी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 18/2026 निरस्त की जाती है।

दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 17.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 17.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती